जल सहयोगः आवश्यकता, लाभ और चुनौतियां

डॉ. अनिल कुमार लोहनी
रा.ज.सं., रूड़की

प्रस्तावना

मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, पर्यावरण, सामाजिक–आर्थिक विकास इत्यादि जल उपलब्धता के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। समय तथा स्थान के साथ जल उपलब्धता की असमानता, जल प्रबंधन के लिए एक चुनौती है एक तरफ तेजी से बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से उपलब्ध जल संसाधनों के लिए खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी और बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य उत्पादन, ऊर्जा, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए जल की मांग लगातार बढ़ रही है। जल प्राकृतिक रूप से साझा संसाधन है। अतः जल के प्रबंधन में परस्पर विरोधी हितों को परस्परिक सहयोग से समायोजित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण, जल संरक्षण एवं जल उपलब्धता आदि पर विभिन्न फोरम पर बहुत चर्चा एवं संगोष्ठियां हुई हैं, परंतु इस वर्ष ध्यान दिया जा रहा है जल के लिए पारस्परिक सहयोग पर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग के वर्ष के तौर पर मना रहा है। "**जल संसाधनों के उपयोग और शांतिपूर्ण प्रबंधन को लेकर एक उम्मीद का बीज है। इस बीज को कहीं भी रोपने से तब तक अंकुर नहीं निकलेंगे जब तक उसमें जन सहयोग का पानी नहीं डाला जाएगा।**" पानी की कमी से कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो रही हैं अतः इस ओर दुनिया का ध्यान खींचने की आवश्यकता है। मीठे पानी पारितंत्रों और पनबिजली घरों की संरक्षण परियोजनाओं की समन्वयक अक्साना निकितीना कहती हैं "**धरती के हर नौवें इंसान को ताजा और साफ पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए संक्रमण और जल संसाधनों से जुड़ी बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष 35 लाख लोगों की मृत्यु होती है। यह एक बड़ा मुद्दा है। आज हमारा मुख्य लक्ष्य जल संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत् उपयोग सुनिश्चित करना है। आज मुख्य मुद्दा लोगों में पानी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन तक उसकी अहमियत की जानकारी पहुंचाने का है। अगर हम आज इसका उपयोग सावधानी एवं किफायत से न करेंगे तो भविष्य में स्थिति अत्यंत ही गंभीर हो सकती है।**"

इरीना बोकोवा, (रियो+20 सम्मेलन 2012 में यूनेस्को के महानिदेशक) कहते हैं "**लगभग आधे पृथ्वी की सतह का प्रतिनिधित्व दो या अधिक देशों की सीमा पार की नदी घाटियों और जलभृत प्रणालियों के साथ है अतः जल सहयोग शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।**"

भारत में जल सहयोग की आवश्यकता

आज विश्व भर में हर कोई जल संसाधनों की कमी के बारे में चिंतित है। हर समाज, हर देश जल की कमी का सामना कर रहा है तथा उसके लिये जल संरक्षण एक आवश्यकता है क्योंकि कुल जल संसाधनों का 1 प्रतिशत से भी कम जल मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। हम अपनी मातृभूमि भारत के बारे में बात करते हैं, तो स्थिति यहां भी बहुत अच्छी नहीं है। वास्तव में इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता है कि इतनी अधिक नदियों वाले भारत में भी पानी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार भारत की पानी की खपत वर्ष 2025 में लगभग 1093 अरब घन मीटर और 2050 में लगभग 1447 अरब घन मीटर के आसपास होने का अनुमान है साथ ही विभिन्न अध्ययनों में यह कहा गया हैं कि भारत में पानी की सुरक्षा मरणासन्न है। यदि हम तथ्यों के बारे में बात करें तो भारत में जल की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता वर्ष 1951 में 5177 घन मीटर थी। जो कि वर्ष 2000 में घट कर 1342 घन मीटर रह गयी और

एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक भारत "जल तनाव" तथा वर्ष 2050 तक "जल दुर्लभ" देश हो जायेगा।

भारत की मुख्य समस्या यह है कि हमारी बहुत सी मुख्य नदियों में से ज्यादातर चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बाउन्ड्री पर हैं और पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते लगातार नाजुक होते जा रहे हैं। अतः जल बटवारे को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेष रूप से तिब्बत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली त्सांगपो यारलुंग (भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है) नदी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ पानी मोड़ने वाली चीन के आक्रामक परियोजनायें चीन भारत संबंधों में अनिश्चितता का एक नया मोर्चा खोलने के साथ ही दक्षिण एशिया की हाइड्रोलॉजिकल गतिशीलता में भी अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में चीन की प्रस्तावित बांध बनाने की योजना एक गंभीर खतरा हो सकती है क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 2 अरब लोग तिब्बत के जल संसाधन पर निर्भर करते हैं। जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो यहां भी वही स्थिति है। पाकिस्तान, अन्य क्षेत्रों की तरह भी इस क्षेत्र में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है और लगातार सिंधु नदी घाटी संधि के नियमों का उल्लंघन करता रहा है साथ ही साझा नदियों पर भारत की प्रस्तावित बांध योजनाओं के निर्माण कार्य को अस्वीकार करता रहा है। बांग्लादेश के साथ भी यही बात है। बांग्लादेश लगातार भारत से तीस्ता नदी से अधिक पानी रिलीज करने की मांग करता रहता है।

अब सवाल यह आता है कि क्या भारतीय राज्य जल सहयोग की समस्या से मुक्त हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी में है और तथ्य बताते हैं देश की सीमाओं के अंदर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारत के कई राज्य जल बंटवारे को लेकर विवाद कर रहे हैं। कावेरी नदी, भारतीय राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत रही है। कर्नाटक का आरोप है कि तमिलनाडु से उसे जल का सही हिस्सा नहीं मिलता जबकि तमिलनाडु का कहना है कि उसने नदी के तट पर 30 लाख एकड़ से अधिक जमीन का विकास किया है अतः यह असंभव है कि वह कर्नाटक राज्य के लिए पानी का अधिक हिस्सा दे। कृष्णा नदी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जो महाराष्ट्र में 404 किलोमीटर, कर्नाटक के मध्य में 480 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 1300 किलोमीटर की दूरी में बहती है तथा इन सभी राज्यों के बीच विवाद का एक प्रमुख स्रोत रही है और उल्लिखित राज्य इसके जल के बड़े हिस्से के लिए संघर्षरत हैं।

22 मार्च विश्व जल दिवस

विश्व भर में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ''विश्व जल दिवस'' मनाने के लिए एक अलग थीम होता है। **वर्ष 2013 का थीम जल सहयोग है।** ''विश्व जल दिवस'' मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1992 के अपने अधिवेशन में 22 मार्च को की थी। ''विश्व जल दिवस'' की अंतरराष्ट्रीय पहल रियो–डि–जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.ई.डी.) में की गई थी, जिस पर सर्वप्रथम वर्ष 1993 में 22 मार्च के दिन पूरे विश्व में जल दिवस के मौके पर जल के संरक्षण और रख–रखाव पर जागरुकता फैलाने का कार्य किया गया। इस प्रकार से एक बड़ी वैश्विक समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय कैलेंडर में दाखिल किया गया ताकि सबके संयुक्त प्रयासों से इसका समाधान किया जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय जल सहयोग

वर्तमान जगत में पानी की आवश्यकता पृथ्वी के बाकी सभी संसाधनों की तुलना में सर्वाधिक है, लेकिन इसकी कमी का एहसास अभी से होने लगा है। पृथ्वी, एक तरह से देखा जाए तो हर तरफ से पानी से घिरी हुई है, लेकिन इस पानी का कुल एक प्रतिशत ही मनुष्य की

आवश्यकताओं के लिए उपयोगी है। पानी की कमी पहले से ही ध्यान देने योग्य है। ऐसे अनेक इलाके हैं, जहां स्थिति बहुत बद्तर है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के इस वर्ष के प्रस्ताव में इस तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है कि जल संसाधनों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। धरती पर 46% जल संसाधन कई देशों के बीच स्थित हैं और उन्हें बांटने वाले देशों की संख्या 148 है। इसके कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं, जिन्हें केवल घनिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह सहयोग शांतिपूर्ण एवं स्थाई विकास की नींव डालने में सक्षम है, गरीबी घटाने में कारगर हो सकता है, जल संसाधनों के संरक्षण पर्यावरण, सुरक्षा एवं शान्ति को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है। इस अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य संभावित सफल पानी सहयोग पर जागरूकता बढ़ाने के लिए है जिससे पानी का उपयोग, आवंटन और सेवाओं के लिए मांग में वृद्धि के आलोक में जल प्रबंधन की चुनौतियों का सामना किया जा सके। यह वर्ष सफल पानी सहयोग पहल के इतिहास पर प्रकाशित करेगा, साथ ही पानी शिक्षा, पानी कूटनीति, सीमा पार, जल प्रबंधन, वित्त पोषण सहयोग, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा, और विकास लक्ष्यों के साथ संबंधों आदि जैसे ज्वलंत मुद्दों की पहचान करेगा।

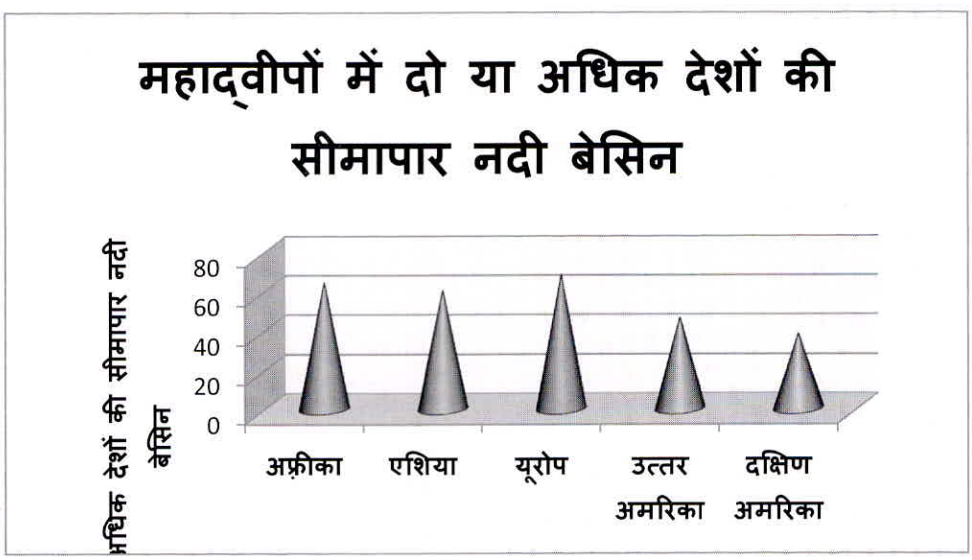

जल से जुड़े मुख्य तथ्य

- धरती पर एक अरब 40 घन किलो लीटर पानी है।
- 97.5 प्रतिशत पानी समुद्र में है, जो खारा है।
- 1.5 प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में है।
- केवल 1 प्रतिशत ताजा पानी नदी, तालाब, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक है।
- इस 1 प्रतिशत पानी का 60 वां हिस्सा खेती और उद्योग कारखानों में खपत होता है।
- 40 वां हिस्सा पीने, भोजन, नहाने और साफ–सफाई में खर्च होता है।
- जल जनित बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष 22 लाख मौतें विश्व में होती हैं।

- ❖ विश्व में प्रति 10 व्यक्तियों में से 2 लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है।
- ❖ चार करोड़ भारतीय जलजनित बीमारियों से ग्रस्त होते हैं।
- ❖ चीन की पीली नदी दुनिया की बड़ी नदियों में से एक होने के बावजूद समुद्र तक का सफर साल में केवल तीन हफ्ते बाढ़ के दौरान ही पूरा कर पाती है। बाकी सब समय इसका पानी चीनी नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति में ही समाप्त हो जाता है।
- ❖ जल ही जीवन है, यह बात सब जानते हैं, फिर भी पानी की अत्यधिक बर्बादी की जाती है। अमेरिका में हर व्यक्ति रोजाना करीब 550 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत में यह संख्या 125 लीटर है। जहां पानी की कमी है, वहीं इसकी असली कीमत पता चलती है।
- ❖ 1948 के बाद से, नदी के ऊपरी क्षेत्रों के तटीय राज्यों के बीच जल से जुड़ी हिंसा के तीव्र संघर्ष की केवल 37 घटनाएं हुई थीं। इसी अवधि में 295 अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। (OSU 2011)
- ❖ दुनिया की आबादी के आधे से अधिक लोग दैनिक दो से अधिक (INBO 2012) देशों द्वारा साझा जल संसाधनों पर निर्भर करता है। दुनिया की आबादी का 40% जीवन उन नदी और झील बेसिन में रहता है जो दो या दो से अधिक देशों में आती हैं और 90% लोग उन देशों में रहते हैं जो नदी बेसिन शेयर करते हैं। (संयुक्त राष्ट्र जल 2008)
- ❖ जल एक संसाधान है जो देश की सीमा से परे है। **कुल 276 नदी बेसिन दो या अधिक देशों की सीमा को पार करती हैं। इसमें से 185 नदी बेसिन दो देशों में साझा करती हैं। 276 नदी बेसिन में से 256 दो, तीन या चार देशों की सीमा को पार करती हैं और बाकी 20 नदी बेसिन पांच या उससे अधिक देशों की सीमा को पार करती हैं। 18 देश एक ही नदी बेसिन दनुबे (Danube) को साझा करते हैं।**
- ❖ **वर्ष 1820 से 2007 के बीच लगभग 450 अंतरराष्ट्रीय जल संबंधित समझौते हुए।**

क्या है जल सहयोग ?

"जल सहयोग" विभिन्न लोगों और क्षेत्रों के बीच स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीठे जल के संसाधनों के शांतिपूर्ण प्रबंधन और उपयोग को दर्शाता है। पानी सहयोग की अवधारणा पारस्परिक रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह एक तरह से, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने पर जोर देता।

इतिहास में अक्सर दिखाया गया है कि स्वच्छ जल की महत्वपूर्ण प्रकृति जल सहयोग के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है, क्योंकि यह सबसे भिन्न विचार वाले हित धारकों को भी सामंजस्य के लिए विवश करता है। जल, समाज और लोगों को बांटने की तुलना में अधिक बार उन्हें एकजुट करता है मास्को राजकीय विश्वविद्यालय के भौगोलिक संकाय के भूमि जल विज्ञान विभाग के प्रमुख **निकोलाई अलेक्सेवसकी का कहना है कि "अन्तर्राष्ट्रीय कानून में अभी तक पूरी तरह से सभी सवालों को विनियमित करने का प्राविधान नहीं हैं। उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि हमें कैसे इन नदियों या झीलों की वादियों में रहना चाहिए, कैसे उनके पानी का बंटवारा करना चाहिए। कैसे राष्ट्रीय सीमा रहित भूमिगत जल संसाधनों का इस्तेमाल हो। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष इस क्षेत्र के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं और राजनायिकों के बीच संपर्क प्रक्रिया में सक्रियता आएगी ताकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकेंगे जो उन सभी देशों के लिए लाभप्रद हों, जिनमें ऐसे विभाजित जलस्रोत हैं।"**

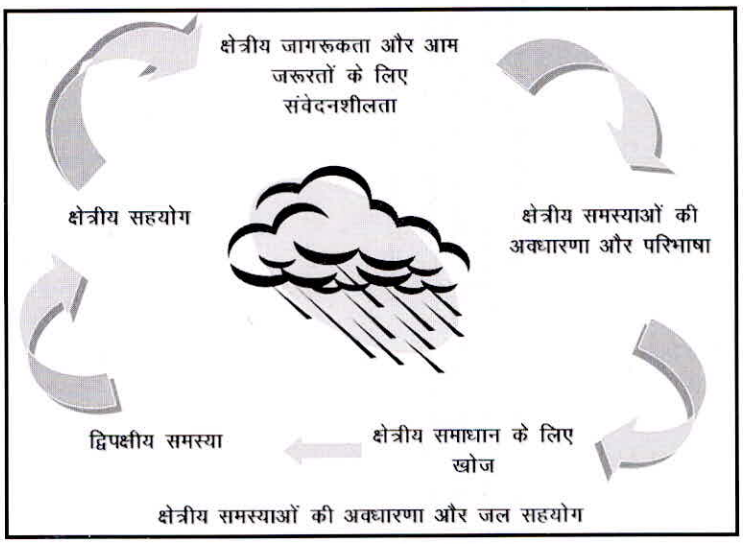

जल सहयोग महत्वपूर्ण क्यों है ?

जल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सभी स्तरों और क्षेत्रों पर ध्यान देने की मांग करता है। जल के मुद्दों में, परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के साथ और कई राजनीतिक और क्षेत्राधिकार सीमाओं के पार कई हित धारक शामिल हैं। (रियो+20) पानी के आवंटन के निर्णय, जल प्रदूषण और जल के प्रभावों, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, जल संसाधन और जल सेवाओं के वित्तपोषण के प्रबंधन पर निर्णय लेने जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए जल सहयोग आवश्यक है। जल सहयोग निम्नलिखित में योगदान देता है –

1. गरीबी में कमी

जल का और अधिक समावेशी शासन और सहयोग विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच असमान जल वितरण पर काबू पाने, बुनियादी मानवीय जरूरतों को प्राप्त करने और जल के उपयोग में वृद्धि में मदद करता है जो विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। इसका सीधा असर गरीबी उन्मूलन में देखा जा सकता है।

2. आर्थिक लाभ

जल सहयोग एक मूल्य श्रृंखला है जो स्थानीय हित धारकों और उद्योगों के बीच बढ़ रही है। अतः जल सहयोग विभिन्न देशों और प्रदेशों में पानी की कमी और अनिश्चितता की चुनौतियों को दूर कर सकता हैं। इसको वास्तविक तौर पर आर्थिक लाभ के रूप में देखा जा सकता है।

3. जल संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा

जल सहयोग, जल आंकडों और जानकारी के आदान–प्रदान और संयुक्त प्रबंधन रणनीति खोजने के लिए मदद करता है। जल संबंधी आंकड़ों की जानकारी के आदान–प्रदान से विभिन्न देशों को जल प्रबंधन तथा जल जनित आपदा (बाढ़ एवं सूखा) प्रबंधन में लाभ होगा। जल आंकड़ों और जानकारी के आदान–प्रदान से पर्यावरण की रक्षा के लिये योजना बनाने में मदद मलती है।

शांति को बढ़ावा देना

जल पर सहयोग, समुदायों, क्षेत्रों या राज्यों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक तनाव को दूर करने और विभिन्न समूहों के बीच विश्वास का निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं।

चुनौतियां क्या हैं ?

विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जल उपयोगकर्ताओं के बीच जल के विभन्न मुद्दे संघर्ष पैदा कर सकते हैं। पानी के सहयोग के लिए निम्न चुनौतियां शामिल हैं –

1. पानी की मांग

जल संसाधन की प्रकृति एवं मांग को देखते हुए, क्षेत्रों, जातियों, समुदायों, शहरी और ग्रामीण वातावरण के बीच इसके उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हैं।

2. जल की गुणवत्ता और जल की मात्रा

जल की गुणवत्ता और जल की मात्रा पर चिंताएं, जल सहयोग के लिए एक चुनौती बन सकती है। नदी के ऊपरी भाग में जल का दुरुपयोग और प्रदूषण नदी के निचले भाग के उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय हैं। अनियंत्रित औद्योगिक विकास के फलस्वरूप निकले विषाक्त कचरे को नदियों में बहाते रहने से विश्व में स्वच्छ जल का संकट उत्पन्न हो गया है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से कृषि योग्य भूमि बंजर हो रही है।

3. बुनियादी ढांचे का (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास

बुनियादी ढांचे का विकास जैसे बांध का निर्माण समाज के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन यह आसपास के पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

4. जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता में उतार चढ़ाव के साथ कई क्षेत्रों में जल संसाधनों पर परेशानी की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन विश्व में जल उपलब्धता की समस्या को और बढ़ा सकता है। ऐसे में विभिन्न देशों के लिए आने वाला समय जल की उपलब्धता की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।

5. आर्थिक हित

जल और इसके इस्तेमाल को लेकर आर्थिक हित, एक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल कर संघर्ष पैदा कर सकता है।

6. वित्तपोषण

बाउन्ड्री जल प्रबंधन संस्थानों के सतत् वित्तपोषण के लिए, निवेश की जरूरत है जो कि अक्सर नदी तट देशों के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक है।

जल सहयोग के फायदे क्या हैं ?

पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक संसाधनों के बीच सबसे आवश्यक पानी है। प्रकृति के खजाने से हम जितना पानी लेते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि उसका सदुपयोग करें। जल सहयोग से ही हम पानी की कमी को कम कर सकते हैं। जल सहयोग के अनेक लाभ हैं। उदाहरणतः जल सहयोग के कुछ फायदे नीचे दिये गये हैं –

* जल सहयोग पड़ोसियों के बीच तनाव और विवादों को कम करने में सक्रिय भूमिका अदा कर सकता हैं।
* बेसिन स्तर पर सहयोग, सिंचाई के विस्तार, जल भंडारण और वितरण के लिए कुशल तकनीक को बढ़ावा देने में कर सकते हैं।
* बेसिन स्तर पर सहयोग, बाढ़ प्रबंधन में वृद्धि कर सकते हैं।
* अंतर्राष्ट्रीय जल प्रवाह (water courses) में सहयोग, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।
* साझा जल संसाधनों पर सहयोग संयुक्त रूप से बाहरी खतरों का सामना करने के लिए अधिकारियों को सक्षम बनाता है। (उदाहरण के लिए जलवायु जोखिम, मलेरिया इत्यादि)
* नगर पालिकाओं और निजी सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग संसाधन जुटाने (भारत में जैसे जल एवं स्वच्छता जमा कोष) को प्रोत्साहित कर सकता हैं।
* जल संसाधन के सहकारी प्रबंधन से पारिस्थितिक प्रबंधन में सुधार हो सकता है और इस तरह के सुधार से पानी की गुणवत्ता के रूप में पर्यावरण सुधार के लाभ हो सकते हैं।

जल सहयोग को कैसे बढ़ावा दें ?

दुनिया में पानी की खपत को व्यवस्थित नहीं किया गया, तो इसके चलते आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। तर्कसंगत और स्थायी तरीके से जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तेज आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण जल की मांग और आपूर्ति के अंतर को ज्यादा व्यापक बना रहे हैं। जब तक कि हम इस अंतर को नहीं भरते, हम अपनी चाह के अनुरूप जीवन जीने के स्तरों में सुधारों को हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाएगें। जल सहयोग द्वारा जल के इस्तेमाल की कुशलता एवं आपूर्ति में सुधार इस अंतर को भरने में मददगार हो सकती है। जल सहयोग को निम्न प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है–

1. जल के सहयोग के लिए एक बहु स्तरीय, समावेशी दृष्टिकोण

पानी की समस्या आज दुनिया के कई हिस्सों में विकराल रूप धारण कर चुकी है और इस बात को लेकर कई चर्चाएं भी हो रही हैं। इस समस्या से जूझने के कई प्रस्ताव भी सामने आएं हैं और उनमें से एक है नदियों को जोड़ना। लेकिन यह काम बहुत महंगा और बृहद स्तर का है। कहावत है बूंद–बूंद से सागर भरता है, यदि इस कहावत को अक्षरशः सत्य माना जाए तो छोटे–छोटे प्रयास एक दिन काफी बड़े समाधान में परिवर्तित हो सकते हैं। जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दों को स्थानीय, राष्ट्रीय और उचित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबोधित किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को गरीब और सबसे कमजोर लोगों की आजीविका के लिए विशेष ध्यान देने में लगना चाहिए।

2. पानी के सहयोग के लिए नवीन दृष्टिकोण

राजनीतिक इच्छाशक्ति और दुनिया भर में पानी के मुद्दों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को जुटाने की जुगत महत्वपूर्ण बनी हुई है। आगे की सोच और स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने के लिए दृष्टिकोण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

जल सहयोग को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था और तंत्र

सभी स्तरों पर सहयोग के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं और तंत्रों की आवश्यकता है। जो कि निम्न हैं–

- कानूनी ढांचा और संस्थागत व्यवस्था
- सूचना का आदान–प्रदान
- संयुक्त निगरानी और मूल्यांकन
- सहयोग के लिये प्रोत्साहन
- मध्यस्थता और विवाद समाधान तंत्र
- लागत और साझा लाभ
- वित्तपोषण

उपसंहार

जल हमारे जीवन का सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज इस निर्णायक संसाधन को बचाने के लिए कुछ न कुछ करने की एक मजबूत की आवश्यकता है क्योंकि बिना पानी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल के अपार, अकूत और बहुमूल्य उपहार का इंसान लगातार अपने स्वार्थ के लिए दुरूपयोग करता ही जा रहा है। दुनिया के अधिकतर देशों में आर्थिक सुधारों के लहर के दूसरे दशक में प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण और कारपोरेटीकरण का दौर तेज हुआ है। इसके साथ–साथ जहां एक ओर विवाद बढ़े हैं तो दूसरी ओर इन संसाधनों पर बड़ी संख्या में लोगों का हक छीना गया है। हमारे देश के बारे में यह माना जाता है कि यहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि हम जितना चाहें उतना पानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि प्रति वर्ष पानी की यह उपलब्धता घटती जा रही है। अब लगभग पूरे देश में जल संकट की आहट महसूस की जाने लगी है। भारत में पानी के मुद्दे पर होने वाली वर्तमान परिस्थितियों को समझना अति आवश्यक है। आज यह जरूरी है कि देश और दुनिया का हर किसान, बच्चा, एंव युवा राजनीति से ऊपर उठकर जल पर अपने साथ–साथ दूसरों का भी हक समझकर जल सहयोग में भागीदार बने, जिससे इस दुनिया का हर व्यक्ति, शहर, खेत और कारखानें समुचित मात्रा में जल प्राप्त कर दुनिया की प्रगति में भागीदार बनें। **जल सहयोग किसी भी स्तर से शुरू कर सकते हैं लेकिन यह सिर्फ तभी लाभदायक होगा जब हम लोग इसे इमानदारी से करेंगे।**